रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिकअपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या1460/2008

शाहिद खान ... अपीलार्थी (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य ... प्रतिवादी (ओं)

के साथ

आपराधिक अपील संख्या1461/2008

और

आपराधिक अपील संख्या1462/2008

दंड संहिता। 1860: धारा 147, 148, 302/149 और 397 - हत्या - अभियोजन पक्ष का वाद की अभियुक्तों ने जिनकी संख्या पांच है तलवार और चाकू से पीड़ित- मृतक के चोटें कारित की- घटना पी.डब्ल्यु. 25और उनके ड्राइवर पी.डब्ल्यु. 24 जो मृतक से मिलने कोटा से झालावाड़ आए थे द्वारा देखी गई बताई है- इसके बाद, डर के मारे वे खुद छिप गए-पीड़ित को मृत लाया गया घोषित किया - विचारण

न्यायालय ने आरोपी संख्या 1 को बरी कर दिया आरोपी संख्या2 से 5 को दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 2 से 5 की दोषसिद्धि की पुष्टि की -अपील पर अभिनिर्धारित:घटना के स्थान पर पी.डब्ल्यु. 24 और पी.डब्ल्यु. 25की उपस्थिति संदेहास्पद दिखाई दी- मृतक के रिश्तेदारों को सूचित न करने और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने में में उनका आचरण अप्राकृतिक था - उनके बयान घटना के 3 दिनों के बाद दर्ज किए गए - बयान दर्ज करने में देरी से उनके घटना के चश्मदीद गवाह होने को लेकर संदेह जताया था- देरी को ध्यान में रखते हुए, पी.डब्ल्यु. 24 और पी.डब्ल्यु. 25पूरी तरह विश्वसनीय गवाह नहीं प्रतीत हुए - इसके अलावा किसी अन्य स्वतंत्र स्रोत से उनके साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं हुई थी - इसलिए, पी.डब्ल्यु. 24 और पी.डब्ल्यु. 25विश्वसनीय गवाह नहीं थे जिससे अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्ज की जा सके - अभियुक्तों के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध न होना - दोषसिद्धि रद्द करना।

निर्णय

सी. नागप्पन , न्यायाधीश

1. इन तीन अपीलों को डीबी क्रिमिनल अपील संख्या1001/2003 में राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 20.12.2006 के विरुद्ध दायर किया गया है।

2. डीबी आपराधिक अपील संख्या 1001/2003में अपीलकर्ता विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण), झालावाड़ की पत्रावली पर सत्र वाद संख्या 31/2003 में अभियुक्त संख्या 2 से 5 हैं और उन पर आरोपी संख्या-1 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149 और 397 के तहत कथित अपराधों के लिए विचारण किया गया। सत्र न्यायालय ने आरोपी संख्या 1 सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया गया, और अभियुक्त संख्या 2 से 5 को धारा 397 के तहत आरोप का दोषी नहीं पाया गया। साथ ही, सत्र न्यायालय ने धारा 148 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त सं- 2 से 5 को दोषसिद्ध ठहराया और प्रत्येक को 500 रुपए के जुर्माने के साथ 2 वर्ष का साधारण कारावास और व्यतिक्रम में एक माह का और साधारण कारावास भुगतने का दंड दिया और उन्हें धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया और प्रत्येक को 2000 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास और व्यतिक्रम में छह मास के साधारण कारावास का दंड दिया।

3. इस दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित अभियुक्त संख्या 2 से 5 ने जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डीबी दाण्डिक अपील संख्या 1001/2003 दायर की। अपीलविचाराधीन रहने के दौरान अपीलकर्ता/ए 3इरफान अली की मृत्यु हो गई और उसकी अपील समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.12.2006 के अपने निर्णय द्वारा

अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया। उसी को चुनौती देते हुए आरोपी संख्या 2, 4 और 5 ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है, संक्षेप में इस प्रकार हैः पी.डब्ल्यु. 19 अनिल कुमार जैन मृतक अशोक कुमार का भाई है। 22. 01. 2001 को उसने कोतवाली झालावाड़ पुलिस स्टेशन में प्रदर्श पी. 34 शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि अशोक कुमार कोटा पत्थरों की फैक्ट्री की देखरेख कर रहा था और अब्दुल खालिद द्वारा टोल टैक्स की रॉयल्टी का अनुबंध प्राप्त किया गया था, जिसमें उसका भाई अशोक कुमार भी एक भागीदार था। यह आगे कहा गया है कि खालिद को कल्लू की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और अशोक कुमार ने खालिद को सहायता दी थी। इस कारण 22 जनवरी, 2001 को कल्लू के साथियों ने कारखाने में आकर अशोक कुमार की हत्या कर दी। उसमें आगे कहा गया है कि पी.डब्ल्यु. 20लाल चंद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियुक्त संख्या में पाँच थे और उन्होंने तलवार और चाकू से अशोक कुमार को घायल किया। पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग घटना वाले दिन अशोक कुमार से मिलने के लिए कोटा से झालावाड़ आए और उन्होनें और उनके ड्राइवर पी.डब्ल्यु. 24 मोहम्मद शकीर ने उस घटना को देखा जिसमें आरोपियों ने अशोक कुमार को हथियारों से घायल किया था। डर के

कारण वे कारखाने में छिप गए। पी डब्ल्यू 19 अनिल कुमार जैन घायल अशोक कुमार को मारुति कार से झालावाड़ के अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पी.डब्ल्यु. 19 अनिल कुमार जैन की मजमून शिकायत पर भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 302/149 और 448 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पी.डब्ल्यु. 17 डॉ. अरविंद कुमार बोहरा ने अशोक कुमार के शरीर का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों का पता लगायाः

1. माथे के मध्य में क्षैतिज रूप से 2 ½ x ½ x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव।

2. घर्षण चोट 3 ½ लंबी कान के सामने और बाएं पिन्ना के ऊपर।

3. घोंपा हुआ चीरे वाला घाव 2 "X ½" X गुहा गहरा ओमेंटम और ताजा रक्त लंबवत दायें परा-नाभि क्षेत्र में घाव से निकलता है।

4. घोंपा हुआ चीरे वाला घाव 2 "X ½" X गुहा गहरा लंबवत तिरछी ओमेंटम और ताजा रक्त उदर के बाएँ परा-नाभि क्षेत्र से निकलता है।

5 घोंपा हुआ चीरे वाला घाव 2 "X ½" X गुहा गहरा ओमेंटम और पेट के ऊर्ध्वाधर बाएं वृक्क क्षेत्र में ताजा रक्तस्त्राव मौजूद है।

6. घोंपा हुआ चीरे वाला घाव 2 "X ½"गुहा गहरा तिरछा ½"उदर के बाएँ हाइपोकॉन्ड्रियम के निचले तटीय मार्जिन के नीचे।

7. चीरे वाला घाव 1" X ¼" xबायीं जांघ के मध्य के पार्श्व में त्वचा की गहराई तक तिरछा।

उन्होंने यह राय व्यक्त करते हुए प्रदर्श 21 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की कि प्लीहा ओमेंटल और मेसेंटरिक वाहिकाओं के पेडिकल को काटने के परिणामस्वरूप मृत्यु का कारण रक्तस्रावी सदमा था।

5. जांच अधिकारी ने गवाहों की जांच की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और आवश्यक फर्द तैयार करके हथियार बरामद किए और जांच पूरी होने पर आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोप तय करने पर सत्र न्यायालय ने मुकदमा चलाया जिसमें अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेजों को चिह्नित किया और बचाव पक्ष ने अपनी ओर से 2 गवाहों का परीक्षण किया। निचली अदालत ने अभियुक्त संख्या 1 को सभी आरोपों से बरी कर दिया और आरोपी नं. 2 से 5 को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया। अपील करने पर उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

6. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया कि पी.डब्ल्यु. 25मिर्जा माजिद बेग और उनके ड्राइवर पी.डब्ल्यु. 24मोहम्मद शाकिर, जिन्होंने घटना के गवाह होने का दावा किया है, वे संयोगवश गवाह हैं जिनकी घटना के स्थान पर उपस्थिति

संदिग्ध है,और मृतक के रिश्तेदारों को सूचित नहीं करने और पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराने का उनका आचरण काफी अप्राकृतिक है और उनके बयान घटना के 3दिनों के बाद दर्ज किए गए थे, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और अभियोजन पक्ष ने मामले की कल्पना और निर्माण काफी विचार-विमर्श के बाद किया था और यह संदिग्ध है। उसके द्वारा आगे प्रतिवाद किया गया है कि पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग ने अपीलार्थियों को झूठा फंसाया क्योंकि उनके दामाद खालिद पर कल्लू की हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया था और कथित मामले में वर्तमान अपीलकर्ता-बंटी ने उसके खिलाफ अभियोजन गवाह के रूप में साक्ष्य दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे दोषी ठहराया गया। यह उनका आगे का निवेदन है कि नीचे की अदालतों ने गलती से चश्मदीद गवाहों की गवाही पर विश्वास कर लिया है, और अपीलकर्ताओं पर लगाए गए दोषसिद्धि और दंड कानून के हिसाब से अनुरक्षणीय नहीं हैं और इन्हें रद्द किया जा सकता है। उनके निवेदन के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि घटना के समय चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति स्थापित हो गई है और अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए नीचे की अदालतों द्वारा

उनकी गवाही पर उचित रूप से भरोसा किया गया है और आक्षेपित निर्णय रक्षणीय है ।

8. अशोक कुमार की मृत्यु हत्या की हिंसा से हुई, जो मामले में दिए गए चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट है। पी डब्ल्यू 17 डॉ. अरविंद कुमार बोहरा, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया, ने पेट में 4 घोंपें हुए चीरे वाले घाव पाए और 2 चीरे वाले घाव माथे और बायीं जांघ पर पाए। प्रदर्श पी21 उनके द्वारा जारी की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौत का कारण प्लीहा ओमेंटल और मेसटेरिक वाहिकाओं के पेडिकल को काटने के परिणामस्वरूप रक्तस्रावी सदमा था। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि घटना में लगी चोटों के कारण अशोक कुमार की मृत्यु हो गई।

9. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ताओं (अभियुक्त नं. 2,4 और 5) ने अन्य अभियुक्तों के साथ अशोक कुमार को तलवार और चाकू से चोट पहुंचाई। सुनवाई के दौरान पी.डब्ल्यु. 20 लाल चंद, पी.डब्ल्यु. 24 मोहम्मद शाकिर और पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग का परीक्षण किया गया क्योंकि वे घटना के गवाह थे। पी.डब्ल्यु. 20 लाल चंद ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग ने अपनी गवाही में कहा है कि 22.01.2001 को वह अपने ड्राइवर पी.डब्ल्यु. 24 शाकिर द्वारा चलाई गई अपनी मारुति वैन में कोटा से

10 बजे चलकर लगभग 12बजे झालावाड़ पहुंचा और 5-10मिनट के लिए टोल पोस्ट पर रुका और फिर अशोक कुमार की फैक्ट्री में उससे मिलने गया और वहां पहुंचने पर उन्होंने रोने की आवाज सुनी और वे वाहन से नीचे उतरे और कारखाने के अंदर भागे और आरोपी नं.2 बंटी और आरोपी नं.4 शाहिद खान हाथ में खंजर लिए हुए और आरोपी नं.5 मंसूर गुप्ती जैसे हथियार के साथ और सभी आरोपी कथित हथियारों से अशोक कुमार पर हमला कर रहे थे। उसके अनुसार वह और उसका ड्राइवर कारखाने के अंदर क्वार्टर की दीवार के बगल में खड़े थे और उन्होंने घटना को देखा और उसके बाद वे कथित स्थान से टोल टैक्स के लिए भाग गए और एक टैंकर लॉरी में चढ़ गए और झालावाड़ में अस्पताल पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनकी मारुति वाहन अस्पताल में खड़ी है और वहाँ से वे सीधे उस वाहन में कोटा चले गए। यह पी.डब्ल्यु. 24 मोहम्मद शाकिर का साक्ष्य है कि उसने 22.1.2001 को उसने पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग की मारुति वैन को कोटा से झालावाड़ तक चलाया और जब वे अशोक कुमार की फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी और वे दोनों नीचे उतरे और कारखाने के अंदर गए और अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों को अशोक कुमार पर चाकू से हमला करते हुए देखा और वे कारखाने के पीछे की ओर भागे और खुद को दीवार के पास छुपा लिया और 5-10 मिनट के बाद वे बाहर आए और टोल टैक्स चेक पोस्ट पर गए और एक ट्रक में लिफ्ट लेकर वे

झालावाड़ अस्पताल पहुंचे और वहां अपनी कार को देखकर दोनों वापस कोटा लौट गए।

10. उपर्युक्त दोनों गवाह कोटा के निवासी हैं जो झालावाड़ शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग के अनुसार वह अशोक कुमार से मिलने के लिए झालावाड़ गया और दोपहर 1 बजे कारखाने पहुंचने पर उन्होनें घटना को देखा। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि पी.डब्ल्यु. 9अनवर और पी.डब्ल्यु. 19अनिल कुमार जैन, जो सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे, ने यह नहीं कहा कि उन्होंने पी.डब्ल्यु. 25मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यु. 24मोहम्मद शाकिर को घटना स्थल पर देखा। केवल पी.डब्ल्यु. 9 अनवर और पी.डब्ल्यु. 20 लाल चंद की मदद से पी.डब्ल्यु. 19 अनिल कुमार जैन ने घायल अशोक कुमार को मारुति वाहन में रखा और उसे झालावाड़ अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पी.डब्ल्यु. 19 अनिल कुमार जैन पुलिस स्टेशन गए और मजमून शिकायत दर्ज की। उक्त शिकायत में हमलावरों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है और घटना के दौरान उपस्थित व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यु. 24 मोहम्मद शाकिर ने अपनी जिरह में कहा है कि उन्होंने घायलों को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए पी.डब्ल्यु. 9 अनवर

और पी.डब्ल्यु. 19 अनिल कुमार जैन की मदद नहीं की और वे टोल टैक्स की ओर बढ़े और एक ट्रक में अस्पताल पहुंचे और अपनी कार को देखकर, अस्पताल में प्रवेश किए बिना, वे कोटा गए और उन्होंने घटना के बारे में किसी को सूचित नहीं किया और वे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन भी नहीं गए। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में निष्कर्ष निकाला है कि पी.डब्ल्यु. 25मिर्जा माजिद बेग की उपस्थिति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित होती है कि उनकी मारुति वैन का उपयोग घायलों को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। अशोक कुमार को अस्पताल ले जाने के लिए उपयोग की गई मारुति गाड़ी पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग की थी, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था। वास्तव में पी.डब्ल्यु. 19 अनिल कुमार जैन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसे उस मारुति वैन का पंजीकरण नंबर नहीं पता था जिसमें अशोक कुमार को अस्पताल ले जाया गया था और वह यह भी नहीं जानता था कि यह किसका वाहन था। दूसरे शब्दों में, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इस मारुति वाहन के उपयोग से कुछ भी स्थापित नहीं हुआ है और किसी भी स्थिति में यह पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग की घटना के समय उपस्थिति को स्थापित नहीं करेगा। पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यु. 24 मोहम्मद शाकिर दूसरों के ध्यान में आए बिना वहाँ से निकाल गए, विशेष रूप से कथित हमले के बाद, यह बिल्कुल

अविश्वसनीय है। यह अवास्तविक प्रतीत होता है।वे उम्मीद करने में विचित्र नहीं हैं और उन्होंने घायलों को अस्पताल ले जाने में कोई मदद नहीं की और न ही स्थिति का पता लगाने के लिए अस्पताल के अंदर जाने का शिष्टाचार दिखाया और घटना के बारे में पुलिस को सूचित भी नहीं किया। भय का पहलू बिना किसी आधार के है और कार्य या आचरण के किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इस संदर्भ में, यह बताना प्रासंगिक है कि पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग ने स्वीकार किया है कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है, और उस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मामले लगाए गए थे और वह सीआरपीसी की धारा 110 के तहत भी उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। यह दलील हमें प्रभावित नहीं करती है।

11. पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यु. 24मोहम्मद शाकिर के बयान घटना के 3 दिनों के बाद दर्ज किए गए थे। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि उनकी तीन दिनों तक जांच क्यों नहीं की गई। यह भी ज्ञात नहीं है कि पुलिस को यह कैसे पता चला कि इन गवाहों ने घटना को देखा था। बयान दर्ज करने में देरी होने से घटना के चश्मदीद गवाह होने के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी मामले को दिए जाने वाले आकार और प्रत्यक्षदर्शियों को पेश किए जाने के बारे में निर्णय लेने के

लिए जानबूझकर इंतजारकर रहा था। इस मामले की परिस्थितियां इस विलंब को इतना महत्वपूर्ण बनाती है । पी.डब्ल्यु. 25 मिर्जा माजिद बेग और पी.डब्ल्यु. 24 मोहम्मद शाकिर, उनकी अस्पष्ट चुप्पी और पुलिस को देरी से दिए गए बयान के कारण, हमें पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं लगते हैं। किसी अन्य स्वतंत्र स्रोत से भी उनके साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है। हम केवल उनके साक्ष्य पर भरोसा करके अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और दंड को बनाए रखने को असुरक्षित पाते हैं। उच्च न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए दावों को ध्यान में रखने और साक्ष्य का फिर से मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। हमारी राय में, अपीलार्थियों के खिलाफ मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

12. नतीजतन, अपीलों को स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और दंडादेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानती बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं ।

न्यायाधीश (जगदीश सिंह खेहर)

न्यायाधीश (सी. नागप्पन)

नई दिल्ली

02 मार्च, 2016

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।